



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



---

संख्या - 619 राँची, मंगलवार, 25 आश्विन, 1945 (श०)  
17 अक्टूबर, 2023 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

संकल्प

20 जुलाई, 2023

**संख्या-5/आरोप-1-6/2017 का०- 4038--**श्री विजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-510/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर, गुमला के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-(N) 3276, दिनांक- 26.12.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखंड अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने, फलतः सरकारी राशि के गबन/दुरुपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह की सेवानिवृत्ति की तिथि 28.02.2011 है, जबकि उनके विरुद्ध आरोप पत्र उनके सेवानिवृत्ति के पाँच साल पश्चात् प्राप्त है।

अतः समीक्षोपरांत श्री विजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिशुनपुर, गुमला के विरुद्ध इस मामले को कालबाधित मानते हुए संचिकास्त जाता है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**रंजीत कुमार लाल,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----